राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(40)आरडी/नरेगा/ट्रे./IGPRS/09–10 जयपुर, दिनांक 15 MAR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय : सरपंचो का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आमुखीकरण प्रशिक्षण/ग्राम रोजगार सेवको का प्रशिक्षण एवं उक्त प्रशिक्षण से पूर्व T.O.T. कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत सरपंचो एवं ग्राम रोजगार सहायको का आमुखीकरण प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से करवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समस्त ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिन्हे प्रशिक्षित प्रशिक्षक प्रशिक्षण देगें। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा गया है।

क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि एवं दिनांक	प्रशिक्षण आयोजन का स्थान स्तर
1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तरीय अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक से दो यथा सहायक अभियन्ता, लेखाकार)	1 दिवस, दिनांक 07,08,09 अप्रेल 2010 (तीन चरणों में)	संस्थान स्तर पर
2	सरपंचो का आमुखीकरण प्रशिक्षण	2 दिवस, दिनांक 15–16 अप्रेल, 2010	समस्त राज्य में ब्लॉक स्तर पर
3	ग्राम रोजगार सेवको का प्रशिक्षण	2 दिवस, दिनांक 26–27 अप्रेल, 2010	समस्त राज्य में ब्लॉक स्तर पर

उपरोक्त प्रशिक्षणों से संबन्धित सम्पूर्ण रूपरेखा, व्यय की जाने वाली राशि प्रशिक्षण में संभागीयों को वितरित की जाने वाली सामग्री का सैट आदि व्यवस्था इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा ही की जानी है। जिसके संबन्ध में पृथक से समय पर संस्थान द्वारा आपको सूचित कर दिया जायेगा।

उपयुक्त प्रशिक्षणों के सुचारू एवं समयबद्व आयोजन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रशिक्षण प्रभारी को प्रशिक्षण संबन्धी आवश्यक दिशा निर्देश समय पर जारी कर दिये जावे, ताकि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हो सके। आप महानिदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान से सहयोग स्थापित कर उक्त प्रशिक्षणों को प्रभावी रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित करे।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त, द्वितीय, (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
2 रक्षित पत्रावाली।

अतिरिक्त आयुक्त, द्वितीय, (ईजीएस)